रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092024-257099 CG-DL-E-12092024-257099

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3563]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2024/भाद्र 21, 1946

No. 3563]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2024/BHADRA 21, 1946

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2024

का.आ. 3896(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का मत है कि सार्वजनिक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, एतद्वारा, निम्नलिखित आदेश किया जाता है, नामत: -

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1) इस आदेश को प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 कहा जाएगा।
 - (2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- 2. प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में, अनुसूची में, क्र.सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा।

[फा. सं. 6/1/2021-आरएंडडी (पार्ट-3)]

राजीव सक्सेना, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1707 (ई), दिनांक 10 अप्रैल, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2332 (ई), दिनांक 24 मई 2023 द्वारा किया गया था।

5847 GI/2024 (1)

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 11th September, 2024

- **S.O.** 3896(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-
- **Short title and commencement.** (1) This Order may be called the Protective Textiles (Quality Control) Amendment Order, 2024.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Protective Textiles (Quality Control) Order, 2022, in the Schedule, Sl. No. 2 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 6/1/2021-R&D (Pt.3)]

RAJEEV SAXENA, Jt. Secy.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 1707 (E), dated 10th April, 2023 and last amended vide notification number S.O. 2332(E), dated 24th May 2023.